न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 47/2019

1. हरिराम
2. विजयसिंह
3. तेजसिंह

पिसरान फत्तेसिंह जाति जाट निवासी नगला बदनपुरा (सुहास) तहसील वैर जिला भरतपुर

.....अपीलान्टान

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर (भरतपुर)

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार वैर दिनांक 29.05.2019 पत्रावली संख्या 44/2018 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम हरिराम, विजयसिंह, तेजसिंह अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री तालेराम, अभिभाषक अपीलान्ट

2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 24.02.2021

अपीलान्टान ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश तहसीलदार वैर दिनांक 29.05.2019 पेश की गई है। तहसीलदार वैर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्टान को आराजी खसरा नम्बर 109, 120 गैर मुमकिन रास्ता एव आराजी खसरा नम्बर 390 गैर मुमकिन नदी वाकै ग्राम सुहांस पर अतिक्रमण होने पर अतिक्रमण की भौतिक बेदखली दिनांक 07.06.2019 तक करने हेतु नायब तहसीलदार वैर को पत्र लिखा गया था। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व एवं तथ्य विरूद्व होने के कारण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

काबिल खारिजी है। अपीलान्ट को विवादित आराजी के किसी भी भाग पर कोई अतिक्रमण नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा गांव की पार्टीबन्दी के कारण झूठा व मनगढत नोटिस दिया है। विवादित आराजी की पैमाईश करा ली जावे। जिस स्थान पर अपीलान्ट को पुख्ता मकान बना है वह पैतृक जायदाद है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नहीं होते ही दिनांक 12.06.2019 को नकल प्राप्त कर अपील अन्दर म्याद पेश की है। देरी को माफ करने के लिये दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अगल से अपील के साथ प्रस्तुत किया है। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार कुम्हेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2019 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि अपीलान्ट के जिस आदेश को चुनौती दी गई वह आदेश न होकर मात्र तहसीलदार वैर द्वारा नायव तहसीलदर वैर को अपीलान्ट के अतिक्रमण की भौतिक बेदखली करने के सम्बन्ध में पत्र लिखा गया है जबकि विवादित आराजी के सम्बन्ध मे नायव तहसीलदार वैर दिनांक 25.09.2018 को विधिवत निर्णय पारित किया है। अपीलाधीन आदेश निर्णय की पालना मात्र है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के द्वारा जिस आदेश को चुनौती गई है वह न्यायालय आदेश न होकर एक पत्र है। विवादित भूमि के सम्बन्ध में तहत न्यायालय ने दिनांक 25.09.2018 को अपीलान्ट को विधिवित सुनकर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 25.09.2018 को चैलेन्ज नहीं कर दिनांक 29.05.2019 के पत्र को निरस्त करने की प्रार्थना की है जो एक कार्यालयी पत्राचार की श्रेणी में आता है। अपीलान्ट को तहसीलदार न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.09.2018 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी। अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार कुम्हेर की पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)